कार्यालय मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड

(उत्तराखण्ड स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

डाण्डा लखौण्ड,सहस्त्रधारा रोड, देहरादून–248001

ई.मेल:- mdnhmuk@gmail.comफोन / फैक्स 0135-2608646

पत्रांक–UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters III/ 105 दिनांक 07/04/2022

सेवा में,

जिला अधिकारी / अध्यक्ष,
जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति,
जनपद–रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी।

विषयः– चारधाम यात्रा– 2022 को तम्बाकू मुक्त आयोजित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक् अवगत कराना है कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एन0टी0सी0पी0) के अन्तर्गत सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (COTPA) का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। Global Adult Tobacco Survey (GATS-II) 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में बीड़ी (15.7%), खैनी (8.0%), गुटका (2.2%), सिगरेट (4.9%) तथा पान मसाला (3.1%) तम्बाकू उत्पादों का उपयोग युवावर्ग द्वारा किया जा रहा है। जिस कारण 33.4% सार्वजनिक स्थलों, 24.5% कार्यस्थलों, 62.2% घरों में व्यक्ति Second Hand Smoke से प्रभावित हो रहे हैं।

उक्त के क्रम में **सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिषेध नियमावली, 2008** का प्रभावी क्रियान्वयन अतिआवश्यक है। वर्तमान में COVID-19 संक्रमण के बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशिका के अनुसार चारधाम यात्रा–2022 को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु **सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तम्बाकू आदि का सेवन प्रतिबन्धित है, साथ ही धूम्रपान एवं धूम्रपान रहित तम्बाकू के थूकने पर प्रतिबन्ध है, जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान है।** इसी क्रम में चारधाम यात्रा–2022 को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु निम्न गतिविधियाँ आयोजित करना आवश्यक हैः–

1. चारधाम यात्रा परिसर में **"धूम्रपान निषेध"** से सम्बन्धित बोर्ड का प्रदर्शन करना।
2. चारधाम यात्रा परिसर / मार्गो में तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभावों से सम्बन्धित डिस्पले बोर्ड का प्रदर्शन करना।
3. चारधाम यात्रा मार्गो, होटलों तथा रेस्टोरेंटों में कोटपा, 2003 के अन्तर्गत सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को प्रतिबन्धित करना।
4. समस्त प्राधिकृत अधिकारियों को अर्थदण्ड रसीद उपलब्ध कराना।
5. तीर्थयात्रियों को जागरूक करने के लिए लाउडस्पीकर, पोस्टर, होर्डिंग आदि के द्वारा जागरूक करना।
6. चारधाम यात्रा परिसर / मार्गो के किसी भी प्राकर के तम्बाकू पदार्थ यथा सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि के उपयोग को प्रतिबंधित करना।

अतः उक्तानुसार चारधाम यात्रा– 2022 को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

(सोनिका) भा0प्र0से0
मिशन निदेशक (एन0एच0एम0)

पत्रांकः–UKHFWS/NHM/NCD/2016/NTCP Letters III/ 106 तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अध्यक्ष / सचिव, देवस्थानम बोर्ड चारधाम यात्रा, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, नगर पालिका / नगर पंचायत, जनपद–रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद–रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी।
4. मुख्य चिकित्साधिकारी जनपद–रूद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी को इस आशय से प्रेषित कि प्रचार–प्रसार हेतु जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सोनिका) भा0प्र0से0
मिशन निदेशक (एन0एच0एम0)